

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

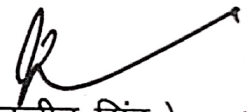
क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/१५६१

दिनांक: 27/03/2025

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ: 10 (क)/चुनाव(गठन)/श्रेणी/डीएलबी/19/10476-10740 दिनांक 18.10.2019 द्वारा नगर निगम जयपुर को दो भागों में विभाजित कर नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर का गठन किया गया था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3, 5, 6 एवं 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वर्तमान में कार्यरत उक्त दोनों नगर निगमों के क्षेत्रों को एकीकृत कर नगर निगम जयपुर को पुर्नगठित किया जाता है, जो कि नगर निगम जयपुर के नाम से जाना जायेगा। यह अधिसूचना नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं नगर निगम जयपुर हैरिटेज बोर्ड के वर्तमान कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

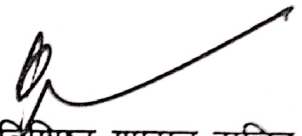

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/१५६१-१५६० दिनांक: 27/03/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
08. संभागीय आयुक्त जयपुर।
09. जिला कलेक्टर जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नगर निगम, जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित महापौर/उपमहापौर एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कर पालना कराई जावे।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।

11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
14. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर/हैरिटेज।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किए जाने हेतु।
17. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव